राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां

पीठासीन अधिकारी नंदकिशोर राजोरा RAS

प्रकरण संख्या :– 64/2019

दायरा दिनांक :– 24.09.2014

निर्णय दिनांक :– 18.09.2019

उनवान

1. श्रीलाल पुत्र रामचरण जाति धाकड निवासी भुवाखेडी।
2. रामस्वरूप पुत्र रामचरण जाति धाकड निवासी भुवाखेडी।
3. रामनिवास पुत्र रामचरण जाति धाकड निवासी भुवाखेडी।
4. मोहनलाल पुत्र रामचरण जाति धाकड निवासी भुवाखेडी।
5. भवरीबाई पुत्री रामचरण जाति धाकड निवासी भुवाखेडी।
6. गिरजाबाई पुत्री रामचरण जाति धाकड निवासी भुवाखेडी।
7. चम्पाबाई बेवा रामचरण जाति धाकड निवासी भुवाखेडी तहसील छबडा जिला बारां।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91,92 व 188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक :–18.09.2019

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री कमलसिंह आशावत– वादी
2. सरकार पैरोकार– प्रतिवादी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाद पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगणों के इस आशय का इस न्यायालय मे पेश किया गया है, कि वादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 190 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 192 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा वाके माल ग्राम भुवाखेडी छबडा जिला बारां राज. में अवस्थित है। जिसका इन्द्राज वर्तमान जमाबन्दी रेवेन्यू रिकार्ड संलग्न वाद पत्र में अंकित है।

उक्त आराजी वाके माल ग्राम भुवाखेडी तहसील छबडा जिला बारां राज. रेवेन्यू रिकार्ड में मकबूजा सरकार वादीगण के नाम दर्ज हैं उक्त आराजी वादीगण की पैतृक भूमि है। जो पूर्व मे वादीगण के पिता रामचरण व दादा के नाम दर्ज थी जिसे वादीगण संयुक्त रूप अपनी–अपनी सुविधा अनुसार कब्जे काश्त करते चले आ रहें है।

विवादित आराजी वादीगण को भूमि खसरा नं. 190 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 192 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा वाके माल ग्राम भुवाखेडी के रेवेन्यू रिकार्ड में मकबूजा सरकार का नाम गलत दर्ज है मकबूजा सरकार का उक्त आराजी से कभी–भी कोई सरोकार नही रहा ना ही कभी काश्त की सम्वत 2012 से आज तक खातेदार वादीगण व उनके पिता रामचरण के नाम चली आ रही है। मकबूजा सरकार का नाम हटाने बाबत राज्य सरकार द्वारा कई बार निर्देश दिऐ

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

परिश्रमिक अभिभाषक

Scanned by CamScanner

गऐ तथा अधिकांश खातो से मकबूजा सरकार का नाम हटाया जा चुका है। वादीगण व उनके पिता उक्त आराजी पर निरन्तर 50–60 साल से अधिक समय से बिना किसी बाधा के कब्जा काश्त चला आ रहा हैं जो प्रतिकूल कब्जे की श्रेणी मे आता हैं इसलिए वादीगण राजस्व रिकार्ड से मकबूजा सरकार का नाम हटवाने व सम्पूर्ण खाता को अपने नाम की खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी है।

राज्य सरकार द्वारा मकबूजा सरकार का नाम हटाया जा चुका हैं वादीगण के नाम के साथ राजस्व रिकार्ड मे मकबूजा सरकार का नाम नही हटाया गया जिसके लिऐ वादीगण द्वारा कई बार निवेदन किया जा चुका हैं। वादीगण के नाम के साथ राजस्व रिकार्ड मे मकबूजा सरकार का नाम अंकित होने से वादीगण को अपनी भूमि के विकास व ऋण आदि मे आऐ दिन परेशानी होती है।

रेवेन्यू रिकार्ड मे विवादित भूमि मकबूजा सरकार एवं वादी रामनिवास का गलत नाम नाम रामबिलास दर्ज होने से आस–पास के खेत वाले अकारण ही वादीगण को परेशाान करते रहते है तथा उक्त भूमि पर लोन लेने कृषि विकास मे आऐ दिन अडचन आ रही हैं इनके मध्य भविष्य मे उक्त भूमि के खातेदारी, अतिक्रमण के बाबत कोई विवाद नही हो इसलिए वादीगण मकबूजा सरकार का नाम हटाना व वादी रामनिवास का सही नाम दुरूस्त कराना चाहते है जो अत्यन्त आवश्यक व न्यायौचित है।

वादीगण द्वारा कई बार प्रतिवादी श्रीमान तहसीलदार छबडा के यहां अपने नाम दर्ज कराने हेतु प्रयासरत है कई बार खातेदार दर्ज कराने हेतु रेवेन्यू कर्मचारियों व प्रतिवादी तहसीलदार छबडा से दिनांक 2.09.2014 को सम्पर्क कर निवेदन किया परंतु प्रतिवादी द्वारा इस संदर्भ में कोई कार्यवाही नहीं करने एवं रेवेन्यू कर्मचारीयो द्वारा भी वादीगण के नाम इन्तकाल नही खोला। वादीगण द्वारा इस सन्दर्भ में किये गए सभी प्रयास विफल होने पर वादी द्वारा माननीय न्यायालय की शरण में आने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहा।

वाद कारण दिनांक 02.09.2014 को रेवेन्यू कर्मचारियो व प्रतिवादी तहसीदार छबडा से वादीगण के नाम इन्तकाल खोलने हेतु सम्पर्क किया परन्तु प्रतिवादी द्वारा इस संदर्भ मे कोई कार्यवाही नहीं करने पर उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन मे प्रमाणित नकल जामाबन्दी सम्वतः 2068 से 71 खाता सं0 104 नकल खसरा गिरधावारी सम्वतः 2068 से 71 फोटो कापी राशन कार्ड पहचान पत्र वोटर आईडी, नकल जमाबन्दी सम्वत 2012–15 व नामा0 संख्या 15 दिनांक 08.07.1960 की प्रमाणित पेश की।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में भूमि खसरा नं0 190 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा नं0 192 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा वाके माल ग्राम भुवाखेडी तहसील छबडा वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा जामाबन्दी रेवन्यु रिकार्ड मे मकबुजा सरकार का नाम खाते से खारिज करने एवं उक्त खातेदार व वादी रामविलास के स्थान पर रानिवास का सही नाम दुयस्त करने का आदेश प्रतिवादी को जारी किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03.06.2016 को न्याय आपके द्वार शिविर में वादी का वाद खारिज किया गया जिससे वादी अप्रशन्न होकर माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहां अपील पेश की।

माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए इस दिशा निर्देश के साथ इस न्यायालय को प्रति प्रेषित की गई कि प्रतिवादी से जवाब दावा प्राप्त करते हुए तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से तनकीवार विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारॉं (राज.)

Scanned by CamScanner

उक्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है जो पूर्व में वादीगण के पिता रामचरण व दादा के नाम दर्ज थी। जिसे वादीगण संयुक्त रूप से अपनी सुविधा अनुसार कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। रिकार्ड मे। मकबूजा सरकार गलत दर्ज है। राजस्व कार्मियो द्वारा सहवन से वादीगणो की खातेदारी के साथ मकबूजा सरकार गलत दर्ज कर दिया गया है जो गलत है। का उक्त आराजी से कभी कोई सरोकार नही रहा। मकबूजा सरकार हटाने हेतु कई बार राज्य सरकार द्वारा निर्देश जारी किये गये है। उक्त आराजी पर लगभग 50–60 वर्षो से अधिक समय से वादीगण व उनके पिता व दादा निरन्तर बिना किसी बाधा के कब्जा काश्त रहा है। वादी गणों के नाम के साथ खातेदारी मे मकबूजा सरकार का नाम अंकित होने से वादीगणों को अपनी भूमि के विकास व ऋण आदि में आये दिन परेशानी होती है। साथ ही आस पास भूमिवाले भी अकारण परेशानी करते रहते है। भविष्य में भी वादीगणों को उक्त खातेदारी व अतिक्रमण आदि में कोई विवाद न हो। इसलिए वादीगण खाते से मकबूजा सरकार हटाना तथा रातनिवास का नाम दुरस्त कराना चाहते है। अतः उक्त विवादित भूमि के खाते से मकबूजा सरकार हटाने एवं रामविलास के स्थान पर रामनिवास करने की कृपा करे। तहसील क्षेत्र के लगभग सभी खाते से खातेदारान के नाम के साथ से मकबुजा सरकार हटाया जा चुका है।

प्रतिवादी का ओर से सरकार पैरोकार का कथन है कि उक्त विवादित आराजी ख. नं. 190 व 192 कि ता 2 रकबा 14.01 बीघा भूमि ग्राम भुवाखेडी तह. छबडा में स्थित है जो सेटलमेंट के समय मकबूजा सरकार के नाम दर्ज थी। एवं वर्तमान मे भी दर्ज है जिसे हटाया जाना न्यायोचित नही है। जिसका नामा. नं. 15 दिनांक 08.07.1960 से मकबूजा सरकार दर्ज स्थित है। उक्त आराजी पर रामचरण पुत्र पांच्या की विरासत नामा. न. 140 से वादीगण के नाम दर्ज हुआ जिसमे भी मकबूजा सरकार दर्ज रिकार्ड है एवं वादी नं. 3 का नाम रामविलास ही दर्ज हुआ। पिछले 30–40 वर्षो से वादीगण एवं उनके पिता काश्त करते चले आ रहे है। परन्तु नामा. नं. 15 से मकबूजा सरकार के स्थान पर जेली काश्तकार करने का आदेश हुआ था जिसका अमल जमाबंदी मे नही किया गया परन्तु मकबूजा सरकार यथावत हैं तथा रोटेशन जमाबंदी में मकबूजा सरकार नही हटाया गया। जो आज भी है।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी तथा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन एवं परीक्षण किया पत्रावाली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह तत्थ्य स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम भुवाखेडी के खसरा नं0 190 व 192 बक्त भु प्रबन्ध के समस से ही वादी रामचरण पुत्र पाचा धाकड की खातेदारी मे दर्ज है। उपरोक्त विवेचनानुसार तनकीयात का तनकी वार निस्तारण निम्न प्रकार किया जाता है।

<u>तनकी न.1</u>– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। नकल जमाबंदी सम्वत 2012–15,नामा0 स0 15 दिनांक 08.07.1960 2068–71 वाके ग्राम भुवाखेडी तह. छबडा के ख.नं. 190 रकबा 6.10 बीघा एवं ख.नं. 192 रकबा 7.11 बीघा भूमि वादीगणों के पूर्वज एव वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के नाम है।संयुक्त खातेदारी में मकबूजा सरकार दर्ज रिकार्ड है। उक्त दस्तावेजो से यह साबित होता है कि वादीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त आराजी से मकबूजा सरकार हटवाने के अधिकारी है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
जिला बारॉ (राज.)

Scanned by CamScanner

प्रकरण पुनः इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाकर प्रतिवादी सरकार पैरोकार की और से जवाब दावा लिया जाकर उनके द्वारा दिनांक 28.08.019 को पेश किया गया।

वादी का वाद एवं प्रतिवादी के जवाब दावा अनुसार निम्न तनकीयात कायम की गई।

तनकी न.1– आया कि विवादित आराजी वाके ग्राम भुवाखेडी तह. छबडा के ख.नं. 190 रकबा 6.10 बीघा , ख.नं. 192 रकबा 7.11 बीघा वादी गण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त में मकबूजा सरकार दर्ज रिकार्ड है। वादी

तनकी न.2– आया कि उक्त विवादित आराजी को मकबूजा सरकार गलत दर्ज कर रखा है क्योकि नामान्तरण सं0 15 दिनांक 8.07.1960 मकबूजा सरकार हटाने के लिए स्वीकृत किया जा चुका है जिसका राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद शेष है वादी

तनकी न.3–आया कि उक्त विवादित आराजी भू–प्रबन्ध से पूर्व खाते मे मकबूजा सरकार दर्ज रिकार्ड है जिसे हटाना उचित नही प्रतिवादी

वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में फोटो कापी नामान्तरण करण नं0 15 दिनांक 08.07.1960,व प्रमाणित नकल जमाबन्दी ग्राम भुवाखेडी खाता सं. 104 सम्वत 2068–2071 पेश की। नकल खसरा गिरदावरी ग्राम भुवाखेडी तह. छबडा सम्वत 2068–70 पेश की। नकल फोटो कापी राशन कार्ड एवं नकल फोटो कॉपी पहचान पत्र पेश किये गये। साक्ष्यवादी श्रीलाल PW1लिए गये। जिसने बताया कि ग्राम भुवाखेडी तहसील छबडा मे स्थित भूमि ख.नं. 190 रकबा 6.10 बीघा एवं ख. नं. 192 रकबा 7.11 बीघा भूमि जो मेरे व अन्य वादीगणों के संयुक्त खातेदारी में एवं कब्जे काश्त मे चली आ रही है। वादीगणों की पैतृक भूमि है जो पूर्व मे वादी के पिता रामचरण व दादा के नाम दर्ज थी। रेवेन्यू रिकार्ड मे खातेदार के साथ मकबूजा सरकार का नाम गलत दर्ज है। मकबूजा सरकार का उक्त आराजी से कभीा सरोकार नही रहा स. 2012 से आज तक खातेदार वादीगण व उनके पिता रामचरण के नाम खातेदारी चली आ रही है। उक्त विवादित आराजी से मकबूजा सरकार हटवाकर एवं खाते से रामविलास के स्थान पर रामनिवास दर्ज कराना चाहते है। पिछले 60 वर्षो से उक्त विवादित भूमि पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। खाते से मकबूजा सरकार हटाया जावे। वकील वादी शेष साक्ष्य कराना नही चाहते है। प्रतिवादी की और से साक्ष्य बतौर जवाब दावे के सम्बन्ध मे दस्तावेज शामिल करने का अनुरोध किया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अपने कथन मे बताया कि वादी गण के संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि ख.नं. 190 एवं 192 किता 2 रकबा 14.01 बीघा भूमि वाके ग्राम भुवाखेडी तह. छबडा में स्थित है जिसका रेवेन्यू रिकार्ड मे मकबूजा सरकार वादीगण के पिता के नाम दर्ज है। उक्त आराजी पर रामचरण पुत्र पांच्या की विरासत नामा. न. 140 से वादीगण के नाम दर्ज हुआ एवं वादी नं. 3 का नाम रामविलास ही दर्ज हुआ। पिछले 50–60 वर्षो से वादीगण एवं उनके पिता काश्त करते चले आ रहे है। नामा0सं0 15 दिनांक 08.07.1960 वादीगणो क पक्ष मे निर्णित किया जाकर उक्त आराजी से खातेदारान के नाम के साथ दर्ज मकबुजा सरकार शब्द हटाने का पारित किया गया लेकिन उक्त नामा0 का राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद नही होने से वादीगणो को कठिनाईयो का समना करना पड रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारॉ (रा.)

Scanned by CamScanner

तनकी न.2– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। नकल जमाबंदी सम्वत 2068–71 ग्राम भुवाखेडी तह. छबडा के ख.नं. 190 व 192 किता 2 रकबा 1.01 बीघा भूमि वादीगणों के संयुक्त खातेदारी मे मकबूजा सरकार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे प्रस्तुत नामा. नं. 15 दिनांक 08.07.1960 को तस्दीक किया गया है। इस तस्दीक शुदा नामा0 का राजस्व कार्मिको द्वारा राजस्व रिकार्ड मे अमल नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2012–15 मे वादीगणो के पूर्वज के नाम यह भूमि दर्ज है। जिन्हे धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। जिससे पडत मकबूजा सरकार को जेली रामचरण पुत्र पांच्या दर्ज करने का आदेश हुआ जिससे यह साबित होता है कि वादीगणों के पिता–दादा का पिछले 50–60 वर्षो से कब्जा काश्त रहा है। अतः वादीगण राजस्व रिकार्ड से मकबूजा सरकार हटवाने के अधिकारी है। यह तनकी भी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी न.3– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। उक्त विवादित आराजी सेटलमेंट क समय मकबूजा सरकार के नाम दर्ज थी। इसको साबित करने हेतु प्रतिवादी द्वारा कोई सबूत, दस्तावेज पेश नही किया गया है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2012–15,नामा0 15 दिनांक 08.07.1960 मे स्पष्ट रूप से वादीगणो के पूवजो का नाम अंकित है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से प्रतिवादी यह साबित करने मे असमर्थ रहे है कि वादग्रस्त भूमि भू प्रबन्ध से पूर्व से ही मकबुजा सरकार दर्ज रही हो। अत यह तननकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित कि जाती है।

उपरोक्त तनकीयात के निर्णय से यह तथ्य सामने नजर आते है कि विवादित आराजी ख.नं. 190 व 192 किता 2 रकबा 14.01 बीघा भूमि सम्वत 2012–15 के पूर्व से ही वादीगणों के कब्जे काश्त व खाते की आराजी है जिस पर पिछले 50–60 वर्षो से नियमित कब्जा काश्त चला आ रहा है परन्तु राजस्व रिकार्ड मैं खातेदारान के नाम के साथ मकबूजा सरकार दर्ज किया हुआ है, जिससे वादी गणों को खेती विकास एवं ऋण की सुविधा न मिलने से वादीगण को अनेक कठिनाईयो का सामना करना पड रहा है।ऐसी स्थिति में खाते से मकबूजा सरकार हटाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा विवादित आराजी ख.नं. 190 व 192 किता 2 रकबा 14.01 भूमि से मकबूजा सरकार हटाने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जाते है। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला बारां

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Nand Kishore Rajora
Date: 2019.10.18 12:41:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: